झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना -6060

सं०–06 A/न0वि0/Development Authority–46/2015 ..... झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम –1981 (अंगीकृत) यथा संशोधित–2006 की धारा–8 की उपधारा–2 में प्रावधान है कि राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, क्षेत्र और विकास क्षेत्र की सीमाएँ परिवर्त्तित कर सकेगी, ताकि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र उसमें शामिल या उससे अलग किया जा सके।

2. राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार गठन के उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम–1981 (अंगीकृत) यथा संशोधित–2006 के अध्याय–2 की कंडिका–8 (2) के तहत् निम्नांकित भू–भाग को क्षेत्र (Region) तथा विकास क्षेत्र (Development Area) के रूप में अधिसूचित किया जाता है :–

2.1 क्षेत्र (Region) :

अधिसूचित स्थानीय शहरी निकाय क्षेत्र को छोड़कर, निम्नांकित जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्र :

क्र०	जिला का नाम
1	राँची
2	गुमला
3	सिमडेगा
4	लोहरदगा
5	खूँटी

2.2 विकास क्षेत्र (Development Area) :

2.2.1 उपर्युक्त कंडिका 2.1 में वर्णित जिलों में अधिसूचित शहरी निकाय क्षेत्र की सीमा से निम्नांकित परिधि के अन्तर्गत अवस्थित क्षेत्र :

क्र०	निकाय के प्रकार	निकाय क्षेत्र की सीमा के बाहर के क्षेत्र
1	नगर पंचायत	04 कि0मी0 की परिधि में
2	नगर परिषद्/नगर निगम (राँची नगर निगम को छोड़कर)	05 कि0मी0 की परिधि में

किन्तु राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के विकास क्षेत्र जो अधिसूचना संख्या–811, दिनांक–02.03.12 के द्वारा अधिसूचित है जिसमें कुल 354 ग्राम/मौजा सम्मिलित है, में से कर्रा अंचल एवं खूँटी अंचल के ग्राम/मौजा को छोड़कर।

2.2.2 उपर्युक्त कंडिका 2.1 में वर्णित जिलों में जनगणना–2011 में चिन्हित सभी Census Towns के क्षेत्र की सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत अवस्थित क्षेत्र।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

21/12/18

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–06 A/न0वि0/Development Authority – 46/2015 6060 **राँची, दिनांक** 21/12/18

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/18

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–06 A/न0वि0/Development Authority – 46/2015 6060 **राँची, दिनांक** 21/12/18

प्रतिलिपि–माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड/विकास आयुक्त, झारखंड/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखंड सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखंड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन/नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी उपायुक्त, झारखंड/उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची/सभी नगर आयुक्त/ कार्यपालक/विशेष पदाधिकारी, सभी स्थानीय शहरी निकाय, झारखंड/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची/प्रभारी वेबसाईट, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/18

सरकार के सचिव